राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2008/2012/जयपुर.

मैसर्स हर्ष एण्ड कम्पनी, 292, चांदपोल बाजार, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/05/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 27/अपील्स–III/12–13/एफ में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.09.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2011 को खजूरी, एन.एच.8, डूंगरपुर में वाहन संख्या आर.जे.27/1जी–2193 को चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल 'साबुन' से सम्बन्धित बिल बिल्टी प्रस्तुत किये गये, किन्तु माल के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 पेश नहीं किया गया। इस कारण सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 8075763 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि माल लोड करते समय बारिश होने के कारण घोषणा प्रपत्र वहीं रह गया, जो अब प्रस्तुत किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में धारा

लगातार.....2

78(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 39,694/— एवं वैट रूपये 6,616/— का आरोपण आदेश दिनांक 08.08.2011 से किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, शास्ति की पुष्टि करते हुए, वैट को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। वक्त जांच घोषणा प्रपत्र वैट—47 नहीं पाया गया, जो कि नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिया गया, तथा वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी स्पष्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति एवं वैट का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण परीक्षण किये बिना, सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये तथा घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण बताते हुए घोषणा प्रपत्र भी जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। जिससे प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स** में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना हो जाती है। सक्षम अधिकारी ने वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल बिल्टी व जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र वैट—47 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना इंगित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की पुष्टि करते हुए वैट को अपास्त किये जाने सम्बन्धी पारित किया गया आदेश न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

लगातार.....3

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय अधिकारी का शास्ति की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2012 एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 08.08.2011 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया ।

11.05.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य